प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023............
प्र0सू0रि0 सं. ....11/2023.................. दिनांक ....13/1/2023..................

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम..धारायें..
(iii) अधिनियम... धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या............................254.... समय 3:30 P.M. ....
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार :– 12.01.2023 समय ....12.47 पीएम........
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– रामगढ सेठान जिला सीकर। ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से उत्तर दिशा में करीब 70 किलोमीटर
(ब) पता :– बिसाऊ दरवाजे के आगे प्राईवेट दूकान रामगढ सेठान जिला सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री गोविन्द सैन
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री मदनलाल सैन
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 35 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव गुदडवास पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री बाबूलाल पुत्र श्री गणेशराम, उम्र–50 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव जोरावर नगर, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कृषि पर्यवेक्षक ताखलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 1500 रूपये..........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 10.01.2023 को समय 10.35 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय से ईत्तला प्राप्त होने पर श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी गोविन्द सैन के मोबाईल नम्बर 7976591728 पर कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी ने कस्बा रामगढ सेठान के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा रिश्वत की मांग करना बताया, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाकर देखा गया तो उसमें पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। टेप रिकार्डर श्री दलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर तथा परिवादी से उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रिश्वत की

[redacted]

मांग के सत्यापन हेतु दिनांक 10.01.2023 को समय 11.00 एएम पर रामगढ सेठान रवाना किया गया।

दिनांक 10.01.2023 को समय 7.00 पीएम पर श्री दलीप कुमार कानि. उपस्थित कार्यालय आया। श्री दलीप कुमार कानि. ने परिवादी का एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " सेवामें श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी सीकर। विषयः– रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मैं गोविन्द सैन पुत्र श्री मदनलाल निवासी गुदडवास तह. रामगढ शेखावाटी थाना रामगढ सेठान का रहने वाला हूँ हमारे खेत में लगी सौर उर्जा कुए के पाईप व फव्वार की सब्सिडी का बिल रूपये 33480 रूपये का बिल पास करवाने बाबत कृषि पर्यपेक्षक बाबूलालजी रामगढ सेठान से मिला तो उन्होने बिल पास करवाने हेतु 2000 रूपये की मांग की। मै उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता उनको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ।

श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैने कस्बा रामगढ सेठान में परिवादी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया इसके पश्चात परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर सुपुर्द की तथा परिवादी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त की। श्री दलीप कुमार कानि. ने परिवादी से आरोपी की रिश्वत के संबंध में स्पष्ट वार्ता नहीं होना बताया, जिस पर टेप रिकार्डर को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि नहीं हुई। दिनांक 11.01.2023 को समय 7.00 एएम पर श्री दलीप कुमार कानि. को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर रामगढ सेठान रवाना किया गया। दिनांक 11.01.2023 को समय 8.00 पीएम पर श्री दलीप कुमार कानि. बाद सत्यापन कार्यालय में उपस्थित हुआ था। उस दिन मन् पुलिस निरीक्षक के दिगर राजकार्य अलवर से कार्यालय एसीबी सीकर पर दिनांक 12.01.2023 को समय 8.30 एएम पर उपस्थित आने पर श्री दलीप कुमार कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि" दिनांक 11.01.2023 को रामगढ सेठान पहूँच मैने परिवादी से कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय के पास पहूँचे जहाँ कार्यालय बन्द होने के कारण समय करीब 3.09 पीएम पर परिवादी गोविन्द सैन के मोबाईल नम्बर 7976591728 पर श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक के मोबाईल नम्बर 8209584655 से कॉल आने पर उसने घण्टाभर पश्चात आने की कही, उक्त वार्ता को मैने परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में टेप किया गया। इसके पश्चात मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दी जिस पर परिवादी कृषि पर्यवेक्षक भवन के अन्दर चला गया तथा उसके वापिस आने पर मैने टेप रिकार्डर प्राप्त कर ली। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों तथा 1500 रूपये की रिश्वत की मांग स्पष्ट रूप किया जाना पाया गया।

तत्पश्चात पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मदनलाल सैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड सीकर एवं परिवादी गोविन्द सैन के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई तो परिवादी गोविन्द सैन ने श्री दलीप कुमार कानि. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक से पहले की कोई रंजीश अथवा पूर्व का कोई उधार लेनदेन नहीं होना बताया। परिवादी ने दिनांक 11.01.2023 को स्वयं के मोबाईल नम्बर 7976591728 पर श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक के मोबाईल नम्बर 8209584655 से कॉल आना तथा कृषि पर्यवेक्षक भवन के अन्दर बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक से वार्ता करना बताते हुये बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 1500 रूपये बतौर रिश्वत मांग किया जाना बताया। परिवादी गोविन्द सैन का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.01.2023 को समय 3.09 पीएम पर परिवादी गोविन्द सैन के मोबाईल नम्बर 7976591728 पर श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक के मोबाईल नम्बर 8209584655 से कॉल आने पर उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन के स्पीकर के जरिये डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके अलावा परिवादी गोविन्द सैन द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 11.01.2023 को

आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक रामगढ सेठान जिला सीकर से आमने–सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उक्त दोनों वार्ताओं का गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया।डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी गोविन्द सैन ने स्वंय की व आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक रामगढ सेठान जिला सीकर की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी श्री गोविन्द सैन ने हिदायत देने पर आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक रामगढ सेठान जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DC 890319
2–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DP 503345
3–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PT 110178

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री मदनलाल सैन से परिवादी श्री गोविन्द सैन की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1500 रूपयों के नोट श्री कैलाशचन्द कानि. से परिवादी के पहने हुये बुशर्ट की सामने की बांई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को तय ईशारे बाबत मुनसिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री कैलाशचन्द कानि. से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री कैलाशचन्द कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री गोविन्द सैन को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों के सीकर से रवाना होकर बिसाऊ दरवाजे के आगे पुराना सरकारी अस्पताल रामगढ सेठान के पास मुख्य सड़क पर बनें मंदिर के पास पहूँचा जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी गोविन्द सैन को समय करीब 12.40 पीएम पर आरोपी बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के मुख्य सड़क पर ईधर–उधर परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ।

समय करीब 12.47 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी गोविन्द सैन के सिर पर हाथ फेरने का तय ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आस–पास मुकिम पार्टी को ईशारे से साथ लेता हुआ विनायक बीज भंडार के पास गली में बनी पुरानी दूकान के सामने पहूँचा, जहॉ परिवादी एवं एक व्यक्ति खड़े दिखाई दिये जहॉ परिवादी ने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यहीं बाबूलाल जी है

जिन्होने अभी–अभी मेरे से अपने पहनी हुई जाकेट के अन्दर की तरफ रूपये रखवाये है," इतने में ही उक्त व्यक्ति ने अपनी पहनी हुई जाकेट को हिलाकर रूपये नीचे गिरा दिये, जिनको गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो कुल 1500 रूपये पाये गये। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर श्री दलीप कुमार कानि. ने आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक का दाहिनी हाथ तथा श्री रामनिवास कानि. ने आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक का बांया हाथ कलाईयों के उपर से पकड़ लिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ताकलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर होना बताते हुये कहा कि " मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिये है, इन्होने मेरी जाकेट में डाल दिये है" मौके पर परिवादी गोविन्द सैन ने आरोपी आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "मैने मेरे गांव गुदडवास में कृषि भूमि में सोलर कुआ के पाईप एवं फंवारे के बिलों की राशि में सरकारी छुट दिलाने के लिये इन्होने मेरे से दो हजार रूपये रिश्वत देने की कही थी, कल दिनांक 11.01.2023 को मैने इनसे आकर बात की तो इन्होने पहले तो दिवार पर 2000 रूपये लिखे, बाद में मेरे द्वारा कम करने की कहने पर इन्होने 1500 रूपये देने की कही, आज इनके 1500 रूपये देना चाहा तो इन्होने अपनी पहनी हुई जाकेट के अन्दर की तरफ रूपये रखने का ईशारा किया जिस पर मैने इनकी पहनी हुई जाकेट के दाहिने हाथ के अन्दर की तरफ रिश्वती राशि के नोट 1500 रूपये रख दिये, इन्होने आप लोगों को देखते ही जाकेट के अन्दर की तरफ रखे रूपयों को जाकेट हिलाकर नीचे गिरा दिया" मौके पर भीड–भाड को देखते हुये मन् पुलिस निरीक्षक ने रामगढ थाने से पुलिस जाप्ता मंगवाया तथा आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक के कमरे का ताला बन्द करवाया जाकर आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक पटवारी को उसी स्थिति में पकडे हुये वाहन में बैठाकर समय 1.05 पीएम पर पुलिस थाना रामगढ सेठान पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

तत्पश्चात एक कॉच के गिलास को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक की उसके शर्ट के उपर पहनी हुई जाकेट को उतरवाकर जाकेट के दाहिने हाथ के अन्दर की तरफ वाले हिस्से का डूबोकर धोवन लिया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। जाकेट के उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर धोवन को मार्क जे–1 एवं जे–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने निर्देश देने पर गवाह श्री सुरन्द्र कुमार ने आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मौके पर गिराये गये रिश्वती राशि के नोट गिनवाये गये तो पॉच–पॉच सौ रूपयों के कुल 1500 रूपये पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक की जाकेट बरंग स्लेटी के दाहिने हाथ के अन्दर की तरफ वाले हिस्से जहॉ से रिश्वती राशि बरामद हुई, उस स्थान पर सफेद फ्लूड से घेरा बनाकर जाकेट के अपोजिट साईड अर्थात जाकेट के बाहरी हिस्से ती तरफ संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जाकेट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "बी" अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक को परिवादी के कार्य के बारे में पूछा गया तो बताया कि "इनके द्वारा लगाये गये फंवारे आदि का भौतिक सत्यापन हेतु मैं तथा प्रियंका कृषि पर्यवेक्षक सहनुसर इनके खेत में गये जहॉ हमने इनका भौतिक सत्यापन किया था, इनके बिलों से संबंधित पत्रावली मेरे कमरे में रखी हुई है" मौके पर प्रियंका पर्यवेक्षक सहनुसर को तलब किया जाकर परिवादी के कार्य के बारें में पूछा तो बताया कि " गांव गुदडवास मेरे अधीन आता है, इनके गांव गुदडवास भौतिक सत्यापन के लिये मै श्री बाबूलाल को साथ लेकर गई थी, मेरे को अनुभव कम होने के कारण मैने बाबूलाल जी को साथ लिया था, मेरे द्वारा इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की गई है, मेरे को अनुभव नहीं होने के कारण मैने पत्रावली बाबूलाल से तैयार करवाने के लिये कहा था" परिवादी गोविन्द सैन ने भी मौके पर कहा कि "प्रियंका को मैं नहीं जानता हूँ, मेरी इनसे

रूपयों के संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है।" दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क जे–1 एवं जे–2, सील्ड रिश्वती राशि का कागज एंव सील्ड जाकेट का पैकेट मार्क "बी" पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। तत्पश्चात घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री बाबूलाल को हमरा लेकर मय परिवादी एव स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर घटना स्थल पहूँच घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर किया गया। आरोपी बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ने अपने कमरे से परिवादी गोविन्द सैन के कार्य से संबंधित पत्रावली निकालकर पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली की फोटों प्रति करवाई जाकर मूल पत्रावली मय फोटो प्रति के पुलिस थाना रामगढ पहूँच फोटो प्रति पत्रावली को प्रियंका कृषि पर्यवेक्षक से प्रमाणित करवाकर जप्त की गई तथा मूल पत्रावली प्रियंका को सुपुर्द की गई। आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ताकलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात परिवादी द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 12.01.2023 को परिवादी गोविन्द सैन की आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ताकलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकाड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी गोविन्द सैन ने स्वंय की व आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक रामगढ सेठान जिला सीकर की आवाजों की पहचान की।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को मौके पर छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय प्रकरण से संबंधित समस्त माल वजह सबूत हमरा लेकर एसीबी सीकर पहूँचा। प्रकरण से संबंधिम माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया।

की कार्यवाही से आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ताखलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री गोविन्द सैन से उसके गांव गुदडवास में कृषि भूमि पर लगाये गये फंवारे आदि का भौतिक सत्यापन कर सब्सिडी दिलवाने हेतु रिपोर्ट भिजवाने की एवज में दिनांक 11.01.2023 को परिवादी से 1500 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 12.01.2023 को परिवादी से 1500 रूपये बतौर प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ताखलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री बाबूलाल कृषि पर्यवेक्षक ताखलसर तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर कार्यालय कृषि विस्तार सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बाबूलाल पुत्र श्री गणेशराम, कृषि पर्यवेक्षक, ताखलसर, तहसील रामगढ सेठान, जिला सीकर, कार्यालय कृषि विस्तार, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 11/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 82-85 दिनांक 13.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-2, जयपुर।
2. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राज.जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

13.1.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।